



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



23 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 737 राँची, गुरुवार

14 दिसम्बर, 2023 (ई०)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

संकल्प

20 अक्टूबर, 2023

विषय: Authentication User Agency (AUA) एवं e-KYC User Agency (KUA) अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) भारत सरकार के मध्य पूर्व में किये गए एकरारनामों का अगले तीन (03) वर्षों के लिए नवीनीकरण करते हुए संशोधित एकरारनामा के प्रारूप पर स्वीकृति ।

संख्या-सू०प्रौ०/UIDAI-SRDH-68/2012-3126--वर्तमान में आधार कई सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संपुष्टि करने एवं वितरण सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। झारखण्ड राज्य में आधार (2020 की अनुमानित जनसंख्या 3.85 करोड़ के अनुसार) राज्य की आबादी के लगभग 90% निवासियों को निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार Authentication User Agency (AUA), एवं e-KYC User Agency (KUA) के रूप में (UIDAI) के साथ On-Boarded है एवं विभाग द्वारा राज्य के 15 विभागों को उनके सहायिकी, लाभ या सेवाओं के लाभुकों के अभिप्रमाणन के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

2. राज्य में विभिन्न विभागों को आधार प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक एवं e-KYC) की सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा UIDAI के मध्य सर्वप्रथम दिनांक 16.07.2013 को एकरारनामा किया गया था जिसकी वैधता 05 वर्षों की थी अर्थात् दिनांक 15.07.2018 तक थी। इस अवधि के अर्थात् दिनांक 15.07.2018 के समाप्त होने के पूर्व ही UIDAI के द्वारा पूर्व में किये गए एकरारनामे को संशोधित करते हुए संशोधित एकरारनामा Version 3 दिनांक 26.02.2015 को किया गया था जिसकी वैधता 05 वर्षों की थी (दिनांक 25.02.2020 तक)। कोरोना महामारी की समस्या को देखते हुए UIDAI के द्वारा सभी AUA/KUA के एकरारनामों की अवधि को पहले दिनांक 31.03.2020 तक एवं उसके उपरांत दिनांक 30.09.2020 तक विस्तारित किया गया था।
3. पुनः संशोधित एकरारनामा Version 5 पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 01.10.2020 को एकरारनामे का नवीनीकरण तीन (03) वर्षों के लिए किया गया जिसकी वैधता दिनांक 30.09.2023 को समाप्त हो गई है।
4. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के द्वारा UIDAI को आधार प्रमाणीकरण की सुविधाएँ प्राप्त करने के एवज में जून-2017 से लाईसेंस फीस के रूप में ₹ 20,00,000/- (बीस लाख) का भुगतान किया जा रहा है, जिसकी वैधता 2 वर्षों की होती है। वर्तमान में जून 2023 में किये गए भुगतान की वैधता मई-2025 तक है।
5. पूर्व में किये गए एकरारनामा Version 5 एवं संशोधित एकरारनामा Version 5 के बीच अन्तर निम्नानुसार है:-

Old Agreement Version 5.0 (2020)			New Agreement Version 5.0 (2023)		
Page No.	Clause	Name of Regulation	Page No.	Clause	Revised Name of Regulation
2, 3		Aadhaar(Authentication) Regulations, 2016	2, 3		Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021.
11	5.1		8	5.1	
15	8.1		11	8.1	
30	Annexure II		23	Annexure II	

6. अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा Authentication User Agency (AUA), एवं e-KYC User Agency (KUA) अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार के मध्य पूर्व में किये

गए एकरारनामे का अगले 03 (तीन) वर्षों (दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 30.09.2026 तक) के लिए नवीनीकरण करते हुए संशोधित एकरारनामा पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति सूचना प्रौद्योगिकी एवं ईगवर्नेंस विभाग के संलेख ज्ञापांक-3028 दिनांक 05.10.2023 के क्रम में दिनांक 18.10.2023 की बैठक के मद सं०-11में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सरकार के सचिव।
